न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 41/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी अंकित पंवार
पंजीकृत कार्यालयः–502, टावर ए, पेनीनसूला बिजनेस पार्क, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र–400013

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. युसुफ चौपदार पुत्र गुलाब खान

प्रथम पताः– 58, मण्डावा रोड़, सुनारों की धर्मशाला के पास, वार्ड नं. 17, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 331024

द्वितीय पताः– मैसर्स शेख ट्रेवल्स, वार्ड नं. 17, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 331024

तृतीय पताः– सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 11, मोचियों का मोहल्ला, सुनारो का कुआं, रामगढ, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 331024

2. राजकुमार पुत्र फुलचन्द

पताः– वार्ड नं. 11, मोचियों का मोहल्ला, सुनारो का कुआं, रामगढ (ग्रामीण), फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 331024

3. राबिया पत्नी युसुफ चौपदार

पताः– वार्ड नं. 11, मोचियों का मोहल्ला, सुनारों का कुआं, रामगढ (ग्रामीण), फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.) 331024

4. मुमताज पुत्र युसुफ चौपदार

पताः– 58, मण्डावा रोड़, सुनारों की धर्मशाला के पास, वार्ड नंत्र 17, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर(राज.) 331024

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आदेश

दिनांकः 07 अप्रैल, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **युसुफ चौपदार पुत्र गुलाब खान, राजकुमार पुत्र फुलचन्द, राबिया पत्नी युसुफ चौपदार** एवं **मुमताज पुत्र युसुफ चौपदार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **युसुफ चौपदार** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड, वार्ड नं. 11, मोचियों का मोहल्ला सुनारों का कुंआ, रामगढ़, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 444.60 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 20 फीट कॉमन रोड, पश्चिम दिशा में विक्रेता की जमीन, उत्तर दिशा में शंकरलाल लुहार का भुखण्ड एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता की जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹25,97,017/– (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख सत्यानवे हजार सत्रह)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.11.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.11.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **युसुफ चौपदार पुत्र गुलाब खान, राजकुमार पुत्र फुलचन्द, राबिया पत्नी युसुफ चौपदार** एवं **मुमताज पुत्र युसुफ चौपदार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **युसुफ चौपदार** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड, वार्ड नं. 11, मोचियों का मोहल्ला सुनारों का कुंआ, रामगढ़, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 444.60 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 20 फीट कॉमन रोड, पश्चिम दिशा में विक्रेता की जमीन, उत्तर दिशा में शंकरलाल लुहार का भुखण्ड एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता की जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **07 अप्रैल, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर